

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 446 / 2024 दिनांक : 05.02.2024

श्री शैलेश जड़िया (RJ00489) अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर को दिनांक 16.01.2024 से 18.01.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री जड़िया की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भरतपुर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-03, भरतपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/41/2005/1015

दिनांक 05.02.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 441 दिनांक 20.01.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेश जड़िया (RJ00489), अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर।
4. अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भरतपुर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-03, भरतपुर।


सहायक रजिस्ट्रार